प्रसार भारती
आकाशवाणी : रायबरेली

पत्रांक–लख0/आर0बी0एल0/कैजुअल लेबर/2019–20 दिनांकः 13.06.2019

कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा

आकाशवाणी रायबरेली में समय समय पर होने वाली आवश्यकता के अनुसार कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु स्थानीय वैध एवं पंजीकृत एजेन्सियों/फर्मो से निर्धारित प्रारुप में मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

एजेन्सियों/फर्मो द्वारा पूर्ण की हुई मोहरबन्द निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथो–हाथ इस प्रकार प्रेषित की जानी चाहिए कि ये निम्नलिखित पते पर दिनांक 12/07/2019 को अपराह्न 03 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाये।

"केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, 18, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001"

प्राप्त निविदायें दिनांक 12/07/2019 को अपराह्न 04 बजे केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली के समक्ष सम्बन्धित एजेन्सियों के प्रतिनिधि जो भी उस समय उपस्थिति होना चाहेंगे की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

(राधे श्याम)
सहायक निदेशक(अभि0)

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि०)
आकाशवाणी लखनऊ

नियम व शर्ते

01. एजेन्सियों/फर्मों द्वारा लिफाफा जिसमें निविदा प्रस्तुत की जायें उस पर "कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा"व निविदा खोले जाने की तिथि 12/07/2019 अवष्य लिख दिया जाना चाहिए ।

02. अनुमोदित निविदा की वैधता अवधि निविदा खोले जाने की तिथि 12/07/2019 से एक वर्ष तक रह सकती है, जिसे विशेष परिस्थिति में घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।

03. श्रमिकों की आपूर्ति में विलम्ब होने पर तथा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है।

04. कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

05. श्रम विभाग से श्रमिक आपूर्ति संबंधी वांछित पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

06. कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को केन्द्रीय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

07. निविदा में अकुशल व कुशल श्रमिकों की दरें प्रतिदिन के हिसाब से अलग–अलग दी जानी चाहिए।

08. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि रुपये 5000/–(रुपये दो हजार मात्र) एकाउन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप मे जो डी.डी.ओ. आकाशवाणी, लखनऊ के पक्ष में देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

09. केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी रायबरेली के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. निविदा अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता को 15 दिन के अन्दर रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। समय से अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत न करने पर भुगतान रोका जा सकता है।

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि०)
आकाशवाणी लखनऊ

आकाशवाणी, रायबरेली में कुशल एवं अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा आवेदन पत्र

उपमहानिदेशक(अभि0) / केन्द्राध्यक्ष,
आकाशवाणी,
18 विधानसभा मार्ग,
लखनऊ 226 001

महोदय,

आकाशवाणी रायबरेली में कुशल एवं अकुशल श्रमिक आपूर्ति के सन्दर्भ में मैं निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा निर्धारित मानक / शर्तें मैनें पढ़ ली हैं।

मेरी फर्म...समस्त मानक पूर्ण करती है एवं मुझे निर्धारित समस्त शर्तें मान्य है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि
दिनांक : ....

हस्ताक्षर...
नाम ....
फर्म / एजेन्सी का नाम व पता ....
....
....
....
मोबाइल नम्बर ....

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि0)
आकाशवाणी लखनऊ

फर्म / एजेन्सी की मुहर

अनुलग्नक–2

फर्म / एजेन्सी का नाम : ....

आकाशवाणी रायबरेली में कुशल / अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु अधिसूचित दर :–

श्रमिक का प्रकार	दर प्रतिदिन	फर्म द्वारा निर्धारित सर्विस चार्ज (दरें केवल प्रतिशत में सूचित की जानी है)	टिप्पणी
कुशल श्रमिक	केन्द्रीय श्रम कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर		
अकुशल श्रमिक	केन्द्रीय श्रम कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर		

प्रमाणित किया जाता है कि दर प्रस्तुत करने से पूर्व मैने आकाशवाणी रायबरेली द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तो को भली–भांति पढ़ व समझ लिया है एवं तद्नुसार उपर्युक्त दर प्रस्तुत किये गये हैं ।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..

नाम ....

फर्म / एजेन्सी का नाम व पता ....

....

....

मोबाइल नम्बर ....

फर्म / एजेन्सी की मुहर

टिप्पणी

1. केन्द्रीय श्रम कार्यालय द्वारा कुशल / अकुशल श्रमिकों को देय न्यूनतम दैनिक मजदूरी (Minimum daily wages) की दरों से सम्बन्धित जारी नवीनतम आदेश की प्रति फर्म / एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
2. EPF एवं ESI का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप किया जायेगा । सम्बन्धित आदेश की प्रति फर्म / एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
3. फर्म / एजेन्सी द्वारा वांछित सर्विस चार्ज की दरें प्रतिशत में सूचित की जानी चाहिये। शून्य / Nil से 0.9999 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज सूचित करने वाली फर्म / एजेन्सी की निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा। ।

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि०)
आकाशवाणी लखनऊ

<u>नियम व शर्ते</u>

01. फर्म/एजेन्सी द्वारा लिफाफा जिसमें निविदा प्रस्तुत की जाये उस पर ''कुशल एवं अकुषल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा'' व निविदा खोले जाने की तिथि 12/07/2019 अवष्य लिख दिया जाना चाहिए ।

02. अनुमोदित निविदा की वैधता अवधि कार्य आदेश दिये जाने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी, जिसे विशेष परिस्थिति में केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी रायबरेली व सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी की आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

03. फर्म/एजेन्सी द्वारा श्रम कार्यालय में फर्म/एजेन्सी के पंजीकरण होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

04. फर्म/एजेन्सी का वर्ष 2017–18 का टर्न ओवर रूपये 50 लाख से कम नही होना चाहिए। इस संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के साथ अपनी फर्म की बैलेंस शीट की स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. फर्म/एजेन्सी को पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की की स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. फर्म/एजेन्सी द्वारा वांछित सर्विस चार्ज की दरें प्रतिशत में सूचित की जानी चाहिये। शून्य/NIL से 0.9999 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज सूचित करने वाली फर्म/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

07. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में रुपये 20,000/–(रुपये बीस हजार मात्र) का एकाउन्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट जोकि डी.डी.ओ. आकाशवाणी, लखनऊ के पक्ष में देय हो, इस कार्यालय में जमा करना होगा।

08. फर्म/एजेन्सी को अपने लेटर हेड पर निविदा प्रपत्र के साथ यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि आकाशवाणी/दूरदर्शन सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उसका कोई संबंधी कार्यरत है अथवा नहीं। यदि कोई संबंधी कार्यरत है तो उसका पूर्ण विवरण यथा नाम, पद, नियुक्ति का स्थान तथा उससे संबंध सूचित करना होगा। यदि उक्त सूचना गलत पाई जाती है तो केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा बिना किसी नोटिस के अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा सुरक्षा गारंटी (परफार्मेन्स सिक्योरिटी) जब्त की जा सकती है।

09. फर्म/एजेन्सी के पास EPF एव ESI का रजिस्ट्रेशन, वैद्य पैन नं0 तथा जी एस टी पंजीकरण नं0 होना आवश्यक है। निविदा के साथ उपरोक्त की स्व सत्यापित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।

10. फर्म एजेंसी के संचालक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. फर्म/एजेन्सी के पास भारत सरकार के संस्थान में कम से कम पिछले तीन वर्षों के इस प्रकार के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

12. निविदा के साथ फर्म/एजेन्सी को रूपये 10/– के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म/एजेन्सी को किसी भी संस्थान द्वारा काली सूची में नही डाला गया है।

13. केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी लखनऊ के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

14. जिस फर्म/एजेन्सी की दरें केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा स्वीकृत की जायेंगी उसे कार्य आदेश जारी किये जाने के पूर्व इस कार्यालय द्वारा फार्म V प्रदान किया जायेगा जिसके आधार पर फर्म/एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय श्रमायुक्त कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि०)
आकाशवाणी लखनऊ

अनुलग्नक–।

आकाशवाणी, रायबरेली में कुशल एवं अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का विवरण

1. फर्म /एजेन्सी का नाम : ....

2. फर्म /एजेन्सी का पत्राचार का पूरा पता : ....

....

3. फर्म /एजेन्सी की जी एस टी पंजीकरण संख्या : ....

4. फर्म /एजेन्सी का आयकर पैन नम्बर : ....

5. फर्म/ एजेन्सी की श्रम कार्यालय में पंजीकरण संख्या : ....

6. फर्म /एजेन्सी के स्वामी का पूरा नाम (अन्य साझीदार होने पर उनका भी पूरा नाम सूचित करें) : ....

....

7. फर्म /एजेन्सी के नाम उपलब्ध बैंक एकाउन्ट का विवरण :

बैंक का नाम	शाखा	बैंक का IFS कोड	एकाउन्ट नम्बर	एकाउन्ट का प्रकार

8. सिक्यूरिटी डिपोजिट डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण :

बैंक का नाम	शाखा	संख्या व दिनांक	मूल्य

9. फर्म / एजेन्सी के पास कुशल/ अकुशल श्रमिक आपूर्ति का अनुभव : ....वर्ष, ...महीने

10. फर्म / एजेन्सी के पास उपलब्ध टेलीफोन/ मोबाइल फोन नम्बर ---

कार्यालय		आवास	
टेलीफोन नम्बर	मोबाइल नम्बर	टेलीफोन नम्बर	मोबाइल नम्बर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी फर्म/एजेन्सी से सम्बन्धित क्रम संख्या 01 से 10 तक प्रस्तुत विवरण पूर्णतः सत्य है । उपलब्ध कराये गये विवरण में से कुछ भी किसी स्तर पर असत्य पाये जाने पर प्रस्तुत की जाने वाली निविदा निरस्त की जा सकती है एवं निविदा स्वीकृत हो जाने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है साथ ही फर्म/ एजेन्सी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है । मैं यह भी वचन देता हूँ कि अनुबन्ध की अवधि में मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, मैं केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, लखनऊ को अविलम्ब सूचित करुंगा ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर ....

नाम ....

मोबाइल नं. ....

फर्म/एजेन्सी की मुहर ..

15. श्रमिकों की आपूर्ति में विलम्ब होने पर तथा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न होने पर केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी रायबरेली द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर उपर्युक्त अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

16. निविदा अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता को 15 दिन के अन्दर रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर दोनो पक्षों द्वारा निर्धारित शर्तों की स्वीकार्यता को सूचित करते हुए इस कार्यालय के साथ एक अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जोकि स्वीकृत निविदा की दरों की अनुमोदन अवधि के दौरान लागू माना जायेगा।

17. सफल निविदादाता को कार्य निष्पादन सुरक्षा गारण्टी (परफार्मेन्स सिक्योरिटी) के रूप में कुल रुपये 2,70,000/– (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) फिक्स्ड डिपाजिट रिसीट/ बैंक गारन्टी जोकि डी.डी.ओ. आकाशवाणी लखनऊ के पक्ष में देय हो इस कार्यालय मे जमा करना होगा।

18. फर्म/एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त लाइसेंस को इस कार्यालय में जमा करने, रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने तथा रूपये 2,70,000/– (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) फिक्स्ड डिपाजिट रिसीट/ बैंक गारन्टी जमा करने के पश्चात् ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

19. आपूर्ति किये जाने वाले कुशल/अकुशल श्रमिंक पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिये तथा किसी प्रकार की संकामक बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिये व उनकी आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये ।

20. फर्म/एजेन्सी को आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिंको का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराना आवश्यक होगा तथा उनके निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी रायबरेली के पास जमा करनी होगी ।

21. इस कार्यालय में कार्य के दौरान आपूर्ति किये गये कुशल/अकुशल श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या उन्हें किसी प्रकार की जान–माल की क्षति होने पर आकाशवाणी रायबरेली की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा फर्म/एजेन्सी इसके लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगी साथ ही आपूर्ति किए गए श्रमिक के अनुचित कार्य व्यवहार के फलस्वरूप आकाशवाणी रायबरेली में किसी भी प्रकार की जान–माल की क्षति होने पर भी सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी जिम्मेदार होगी ।

22. आपूर्ति किये गये कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा आकाशवाणी रायबरेली में किये गये कार्य के एवज़ में सरकारी सेवा दिये जाने का किसी भी प्रकार का उनका दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।

23. केन्द्रीय श्रम कार्यालय द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिंको को देय न्यूनतम दैनिक मजदूरी (Minimum daily wages) की दरों से सम्बन्धित जारी नवीनतम आदेश की प्रति फर्म/एजेन्सी द्वारा बिल के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

24. फर्म/एजेन्सी द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को केन्द्रीय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

25. इस कार्यालय द्वारा EPF एव ESI का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप किया जायेगा । निर्धारित दरों से सम्बन्धित आदेश की प्रति फर्म/एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

26. फर्म/एजेन्सी द्वारा भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय आकाशवाणी रायबरेली द्वारा भुगतान किए गए EPF एवं ESI की धनराशि व फर्म/ एजेन्सी द्वारा पिछले माह श्रमिकों के पारिश्रमिक से काटे गये EPF एवं ESI की धनराशि को संबंधित विभागों मे जमा करवाकर उसके विवरण की स्व–सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वॉछित प्रति उपलब्ध न करवाये जाने पर बिल का भुगतान करना संभव नही होगा ।

27. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी द्वारा जमा की गयी कार्य निष्पादन सुरक्षा गारण्टी (परफामेन्स सिक्योरिटी) जब्त कर श्रम कार्यालय एवं EPF एवं ESI विभाग को सूचित किया जा सकता है व फर्म/एजेन्सी को ब्लैक–लिस्ट भी किया जा सकता है ।

28. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायाधिकार का क्षेत्र लखनऊ होगा ।

(राधेश्याम)
सहायक निदेशक (अभि०)
आकाशवाणी लखनऊ